उत्तर प्रदेश सरकार
कार्मिक अनुभाग–1
संख्या–13/12/93 टी.सी.-का-1-142-2009
लखनऊ : दिनांक 06 जुलाई ,2009

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली,1993 में संशोधन करने की दृष्टि से, निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं ;

उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2009

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ — 1. (1)यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली,2009 कही जायेगी।

(2)यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम–7 का प्रतिस्थापन — 2. उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली,1993 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तंभ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 7 के स्थान पर स्तंभ 2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :

	स्तम्भ–1 विद्यमान नियम		स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
भर्ती का स्रोत	7.सेवा में किसी पद पर भर्ती सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी ।	भर्ती का स्रोत	7.सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :
		(1)ड्राइवर ग्रेड–4	सीधी भर्ती द्वारा ।
		(2)ड्राइवर ग्रेड–3	मौलिक रूप से नियुक्त ड्राइवर ग्रेड–4 में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में नौ वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और विहित व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।
		(3)ड्राइवर ग्रेड–2	मौलिक रूप से नियुक्त ड्राइवर ग्रेड–3 में से, जिन्होंने

भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को ड्राइवर ग्रेड-3 के पद पर छः वर्ष की मौलिक सेवा पूर्ण कर ली हो या, भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को ड्राइवर ग्रेड–4 और ड्राइवर ग्रेड–3 के पद पर कुल मिला कर पंद्रह वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और विहित व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(4) ड्राइवर ग्रेड–1	मौलिक रूप से नियुक्त ड्राइवर ग्रेड–2 में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को ड्राइवर ग्रेड–2 के पद पर तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

टिप्पणी–उप खंड(2) और (3) में निर्दिष्ट व्यावसायिक परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम ऐसा होगा जैसा कि सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित किया जाय। उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली,2009 के प्रारम्भ के समय उक्त व्यावसायिक परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–433/दस–2005–44/2001टी.सी., दिनांक 11 मई,2006 और शासनादेश संख्या–वे0आ0–1057/दस–2008, दिनांक 18 अक्टूबर,2008 में विहित किया गया है।

नियम 10 का प्रतिस्थापन

3. उक्त नियमावली में नीचे स्तंभ–1 में दिये गए विद्यमान नियम 10 के

स्थान पर स्तंभ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :

	स्तंभ–1 विद्यमान नियम		स्तंभ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
आयु	10.सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने भर्ती के वर्ष की, जिसमें रिक्तियां विज्ञापित या अधिसूचित की जायं पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 32 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो : परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जायं, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी। जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।	आयु	10.सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने भर्ती के वर्ष की, जिसमें रिक्तियां विज्ञापित या अधिसूचित की जायं कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो : परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जायं, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी। जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

नियम 11 का प्रतिस्थापन

4. उक्त नियमावली में नीचे स्तंभ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 11 के स्थान पर स्तंभ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

	स्तंभ–1 विद्यमान नियम		स्तंभ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
प्राविधिक और शैक्षिक अर्हताएं	11. सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्न अर्हताएं होनी आवश्यक हैं:– (एक)किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से आठवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और (दो)यथास्थिति भारी या हल्के वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस नियम–16 के अधीन रिक्ति के सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित किये जाने	प्राविधिक और शैक्षिक अर्हताएं	11. सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्न अर्हताएं होनी आवश्यक हैं:– (एक)किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से आठवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और (दो)यथास्थिति भारी या हल्के वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस नियम–16 के अधीन रिक्ति के अधिसूचित किये जाने के दिनांक के पूर्व से तीन वर्ष से अन्यून अवधि का रखता हो।

के दिनांक के पूर्व से तीन वर्ष से अन्यून अवधि का रखता हो।

नियम 16 का प्रतिस्थापन

5. उक्त नियमावली में, नीचे स्तंभ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–16 के स्थान पर स्तंभ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

स्तंभ–1 विद्यमान नियम		स्तंभ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम	
रिक्तियों का अवधारण	16.नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम–8 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी तत्समय प्रवृत्त सरकार के नियमों और आदेशों के अनुसार रिक्तियां सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित करेगा। और वह प्रमुख समाचार पत्रों में रिक्तियो को विज्ञाप्ति भी करायेगा।	रिक्तियों का अवधारण	16.नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम–8 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित रीति में अधिसूचित की जाएंगी : (एक)व्यापक प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन जारी करके ; (दो)कार्यालय के सूचना पट पर नोटिस चस्पा करके या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार पत्रों के–माध्यम से विज्ञापित करके ; और (तीन)सेवायोजन कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करके।

नियम 17 का संशोधन

6. उक्त नियमावली में, नियम–17 में नीचे स्तंभ–1 में दिये गये विद्यमान उपनियम–(3) के स्थान पर स्तंभ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

स्तंभ–1 विद्यमान उपनियम	स्तंभ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(3)चयन समिति साक्षात्कार और ड्राइविंग	(3) चयन समिति साक्षात्कार और ड्राइविंग परीक्षा के

परीक्षा के पश्चात् अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में जैसा कि साक्षात्कार और ड्राइविंग परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंको के योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो चयन समिति पद के लिये उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर उनके नाम योग्यता क्रम में रखेगी। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी। चयन समिति सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।	पश्चात् अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में जैसा कि साक्षात्कार और ड्राइविंग परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंको के योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो चयन समिति पद के लिये उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर उनके नाम योग्यता क्रम मे रखेगी। चयन समिति नियुक्ति प्राधिकारी को सूची अग्रसारित करेगी।

नये नियम का बढ़ाया जाना

7. उक्त नियमावली में, विद्यमान नियम–17 के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :–

"पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया

17–क (1)पदोन्नति द्वारा भर्ती, समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के लिए) नियमावली,1992 के उपबंधों के अनुसरण में गठित चयन समिति के माध्यम से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जाएगी।

टिप्पणी : चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों का नाम निर्देशन, समय–समय पर यथा संशोधित, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम,1994 की धारा–7 के अधीन किए गये आदेशानुसार किया जाएगा।

(2)नियुक्ति प्राधिकारी, समय–समय पर–यथा संशोधित उत्तर प्रदेश चयनोन्नति (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर) पात्रता सूची नियमावली,1986 के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जांय, चयन समिति के

समक्ष रखेगा।

(3)चयन समिति, उपनियम(2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी, और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4)चयन समिति, चयनित अभ्यर्थियों के ज्येष्ठता क्रम में, जैसी कि उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाना है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।"

नियम 18 का प्रतिस्थापन — 8. उक्त नियमावली में, नीचे स्तंभ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–18 के स्थान पर स्तंभ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :—

	स्तंभ–1 विद्यमान नियम		स्तंभ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियुक्ति	18.नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे नियम–17 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियां करेगा। (2)यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसी चयन में अवधारित की जाय।	नियुक्ति	18.(1)नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे यथास्थिति नियम–17 या 17–क के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियां करेगा। (2)यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, यथास्थिति ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसा चयन में अवधारित की जाय या जैसा उस संवर्ग में हो जिसमें से उन्हें पदोन्नत किया जाना है।

नियम 21 का प्रतिस्थापन — 9. उक्त नियमावली में, नीचे स्तंभ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–21 के स्थान पर स्तंभ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :—

	स्तंभ–1 विद्यमान नियम		स्तंभ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
ज्येष्ठता	21. ड्राइवर के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता, समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के	ज्येष्ठता	21. सेवा में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता, समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित

	अनुसार अवधारित की जाएगी।	की जाएगी।

नियम 22 का प्रतिस्थापन

10. उक्त नियमावली में, नीचे स्तंभ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 22 के स्थान पर स्तंभ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :

स्तंभ–1 विद्यमान नियम		स्तंभ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम	
वेतनमान	22.सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।	वेतनमान	22(1). सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय। (2)उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली,2009 के प्रारम्भ के समय, वेतनमान निम्नवत् दिये गए हैं:–

पद का नाम	वेतनमान		
	वेतन बैंड का नाम	तत्सदृश वेतन बैंड (रू0 में)	तत्सदृश ग्रेड-वेतन (रू0 में)
(1)ड्राइवर ग्रेड–4	वेतन बैंड–1	5200–20200	1900
(2)ड्राइवर ग्रेड–3	वेतन बैंड–1	5200–20200	2400
(3)ड्राइवर ग्रेड–2	वेतन बैंड–1	5200–20200	2800
(4)ड्राइवर ग्रेड–1	वेतन बैंड–2	9300–34800	4200

आज्ञा से,

(कुंवर फतेह बहादुर)
प्रमुख सचिव।